

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—49/2023 (2023/114) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चुन्नीदेवी पत्नि रामलाल कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजीदेवी पत्नि गंगाराम कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. ममतादेवी पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी सबलपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. अम्बालाल पिता जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दीदेवी पत्नि जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लक्ष्मणलाल पिता जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शान्ति पुत्री जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कन्हैयालाल पिता भैरूलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चुन्नीदेवी पुत्री भैरूलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बंशीलाल पिता भैरूलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरलाल पिता भैरूलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गीता पुत्री नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गोपीलाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जमनालाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. प्रेमी पुत्री नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. मथरादेवी पुत्री नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मदनलाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शान्तिलाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. अमर सिंह चारण —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 3575 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3576 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3577 रकबा 0.69 है0, आराजी संख्या 3580 रकबा 0.86 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 175 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व भवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा

(M)

है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 16 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 9 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी कराने में सहमति व्यक्त की गई। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3575 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3576 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3577 रकबा 0.69 है0, आराजी संख्या 3580 रकबा 0.86 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.67 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 175 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी (अधिकारी)
सहायक कमिश्नर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—49 / 2023 (2023 / 114) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. चुन्नीदेवी पत्नि रामलाल कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजीदेवी पत्नि गंगाराम कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थना

बनान

1. ममतादेवी पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी सबलपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. अम्बालाल पिता जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चान्दीदेवी पत्नि जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लक्ष्मणलाल पिता जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शान्ति पुत्री जगु सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कन्हैयालाल पिता भैरुलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चुन्नीदेवी पत्नि भैरुलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बशीलाल पिता भैरुलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भवरलाल पिता भैरुलाल बलाई निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गीता पुत्री नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गोपीलाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जमनालाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. प्रेमी पुत्री नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. मथरादेवी पुत्री नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. मदनलाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शान्तिालाल पिता नानुराम खाती निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पथरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजिघात की पथरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.06.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदासी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3575 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 3576 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 3577 रकबा 0.69 है0, आराजी संख्या 3580 रकबा 0.86 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.67 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 175 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पथरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बाधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पथरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशमालात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पथरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजिघात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नवक्षा एवं ट्रेस में ताल स्याही से दशातिे हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया

गया।

(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी (अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा
आगरा भीलवाड़ा